



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)



dfc_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष / फ़ैक्स नं० 05947-251362

पत्रांक

/ 12-1

दिनांक,

18/8/2023

सेवा में

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड इल्हाली।

विषय:-

जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2151/FP/UK/Others/40044/2019 दिनांक 14.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से 12 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाई गयी थी जिसका निराकरण कर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिउत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। जो निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण/प्रतिउत्तर
1	कमियों के पूर्णतः निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर आवश्यकतानुसार संशोधन करते हेये पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव वापस प्राप्त कर आपत्तियों के निराकरण हेतु आवश्यक संशोधन कर प्रेषित किया जा रहा है।
2	उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या-1 व 2 के प्रतिउत्तर में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि उल्लंघन के फलस्वरूप प्रकरण पर सम्बन्धितों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है की प्रभाग द्वारा समय-समय पर लीजधारक को लीज नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में नोटिस दिये गये हैं। लीजधारक द्वारा जिलाधिकारी से प्राप्त सशर्त प्रमाण-पत्र एवं IOCL द्वारा प्रदान प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
3	बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत लीज भूमि पर लीजधारक द्वारा किसान सेवा केन्द्र संचालित करने के स्थान पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत वन भूमि का उपयोग किये जाने के	लीजधारक द्वारा जिलाधिकारी से प्राप्त सशर्त प्रमाण-पत्र एवं IOCL द्वारा प्रदान प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रश्नगत लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। कृषि सेवा केन्द्र स्थापित नहीं है।

	सम्बन्ध में लीजधारक के विरुद्ध विभाग स्तर से क्या कार्यवाही की गयी।	
4	बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण किया जाना अपेक्षित है।	प्रस्ताव में प्रपत्र भाग-11 बिन्दु सं0 09 को संशोधित कर प्रेषित किया जा रहा है।
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन किया जाना है।	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में आवश्यक संशोधन कर प्रेषित की जा रही है।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग-11 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 6371/14-2-578/74 दिनांक 26.06.1978 में उल्लेख किया गया है कि यदि लीजधारक जिलाधिकारी जनपद-नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुकूल है।	उक्त आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति शासन स्तर से ही स्पष्ट किया जाना उचित होगा।
7	बिन्दु संख्या 6 के अनुपालन में प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण किया जाना अपेक्षित है।	लीजधारक द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
8	बिन्दु संख्या 7 के अनुपालन में प्रस्ताव वापस प्राप्त करने के उपरान्त त्रुटि का निराकरण प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में किया जाना अपेक्षित है।	लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
9	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों में दिनांक एवं संख्या अंकित कर सभी रिक्त स्थानों पर वांछित सूचना (विशेषकर जिलाधिकारी से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों) भरी जानी है।	लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों में दिनांक एवं संख्या अंकित कर संशोधित प्रपत्र-पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
10	बिन्दु संख्या 9 के निराकरण की सूचना प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न की जानी है।	लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में ले-आऊट प्लान एवं मदवार विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

11	बिन्दु संख्या -10 के निराकरण की सूचना (एन0पी0वी0 दरों का प्रमाण-पत्र) प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न की जानी है।	नई दरों के अनुसार एन0पी0वी0 का निर्धारण कर संशोधित प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
12	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-46 में प्रेषित सूचना के अनुरूप (प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में) आवश्यक संशोधन किया जाय।	प्रस्ताव में संशोधित प्रपत्र 46 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रकरण में लगी आपत्तियों का निराकरण कर प्रतिउत्तर मय संलग्नक 4 प्रतियों में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(दिगन्ध नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक:- 531 / दिनांकित।

प्रतिलिपि: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल, एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर, रानीखेत रोड, रामनगर, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।



(दिगन्ध नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर